30/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष सभी अपीलार्थीगण को सम्मन तामील होने से अनुपस्थित हैं। उपस्थित उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि पेशी के रोज वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई और न ही वकील की तरफ से प्रार्थी को उपस्थिति बाबत हिदायत नहीं थी। इसलिए इस हाजरी व इस पेशी में अपील खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता की चूक का खामियाजा प्रार्थी/पक्षकार को नहीं भुगतना है। इसलिए न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जावे।

वकील अपीलार्थी का कथन है कि अनुपस्थिति की कोई जानबूझ कारण नहीं है। उनकी तरफ से अपील के चलते मामला लंबा होता है।

उभय पक्ष की दलीलों पर मनन करने के पश्चात मामला पुनः बहाल इस शर्त पर किया जाना न्यायसंगत है कि अपीलार्थ पक्ष इस आगे कोई चूक नहीं करें। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त में ली जाकर अगली तारीख पेशी से उभय पक्ष उपस्थित हो। पत्रावली फौरन शुमार रजिस्टर नंबर से कायम हो।

दाखिल दफ्तर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

A Rtho
30/7/19

Scanned by CamScanner